न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 35/2012

1. मोहनी बाई पत्नि जगदीश जाति कोली निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
2. जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—वादीगण

बनाम

1. ग्राम सेवक/सचिव ग्राम पंचायत बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण :— श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण :— श्री अमित कुमार गौड व विकास पोरवाल
दायरा दिनांक: 22.03.2012 निर्णय दिनांक : 10.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की ग्राम बोहत में साबिक खसरा नं0 1278 रकबा 9 बीघा भूमि स्थित है, जिसके हाल खसरा नं0 1650 रकबा 1.45 है0 भूमि कायम की गई है। ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में स्थित साबिक खसरा नं0 1278 रकबा 9 बीघा के खसरा नं0 1650 रकबा 0.48 है0 भूमि की विवादित है। उक्त भूमि वादीगण के लगभग 30—40 वर्षो से कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील पी0 14 की नकल में वादीगण का नाम बतौर कब्जा सम्वत 2053 व 2055 में तथा 2004 व 2005 में वादीगण का नाम से मकान, घर, बाग बगीचा आदि दर्ज हैं इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि अपने एडवर्स पजेशन के आधार पर मालिक व स्वामी बन चुका है। उक्त आराजी गलत रूप से सेटलमेंट विभाग ने पंचायत के नाम दर्ज कर दी है। जिससे पंचायत वादीगण को उक्त आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न डिक्री पारित की जावें कि वादीगण को ग्राम बोहत में स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 1278 रकबा 9 बीघा भूमि के हाल खसरा नं0 1650 रकबा 0.48 है0 दक्षिण ओर बटा नम्बर डाकलर वादीगण के नाम कृषक दर्ज कर खातेदार घोषित करवाकर रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी नं0 2 को दिये जावें। तथा उक्त पंचायत का नाम 0.48 है0 भूमि से खारिज किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि से खसरा नं0 1650 रकबा 0.48 है0 दक्षिणी ओर स्थित मकान व बाग बगीचो को नष्ट न करें, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और नही अपने प्रतिनिधि से करवायें।

[illegible] का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.03.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तबल किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कुमार गौड ने दिनांक 01.08.2013 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। लेकिन जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। साक्ष्य वादी में वादी की ओर से पीडब्ल्यू 1 वादी कम 1 मोहनी बाई पत्नि जगदीश जाति कोली निवासी बोहत व पीडब्ल्यू 2 जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी बोहत के बयान करवाये। वादीगण के पक्ष में श्री ओम प्रकाश पुत्र रतनलाल जाति माली हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोहत का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली है उक्त शपथ पत्र के आधार पर ग्राम बोहत में स्थित खसरा नं0 1650 रकबा 0.48 है0 भूमि दक्षिधी ओर की पर वादीगण का 30–40 वर्ष से कब्जा होना प्रमाणित किया है। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य पेश नही की है, और न ही दस्तावेज पेश किऐ है।

प्रदर्श 1 :– नकल नोटिस दिनांक 01.11.2011 जर्ये अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन

प्रदर्श 2 व 3:– नकल रजिस्टर्ड ऐडी रसीद

प्रदर्श 4 से 6 :– नकल मानचित्र ग्राम बोहत

प्रदर्श 7 :– नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोहत

प्रदर्श 8 :– नकल जमाबंदी खतौनी ग्राम बोहत सम्वत 2036–38

प्रदर्श 9 :– नकल जमाबंदी वर्ष 1996–97 ग्राम बोहत

प्रदर्श 10 :– नकल जमाबंदी वर्ष 1998–99 ग्राम बोहत

प्रदर्श 11 :– नकल जमाबंदी सम्वत 2065–68 ग्राम बोहत

प्रदर्श 12 :– नकल नसबंदी प्रमाण पत्र श्रीमति मोहनी बाई

प्रदर्श 13 :– नकल नोटिस भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वर्ष 1997

प्रदर्श 14 :– नकल नोटिस राजस्थान कोलोनाइजेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 वर्ष 1997

प्रदर्श 15 :– नकल नोटिस भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वर्ष 1998

प्रदर्श 16 :– नकल नोटिस राजस्थान कोलोनाइजेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 वर्ष 2000

प्रदर्श 17 :– नकल नोटिस भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वर्ष 2000

प्रदर्श 18 :– नकल नोटिस भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वर्ष 2002

प्रदर्श 19 :– नकल सूचना प्रपत्र 2

प्रदर्श 20 :– नकल नोटिस भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वर्ष 2004

प्रदर्श 21 :– नकल नोटिस भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वर्ष 2005

प्रदर्श 22 :– कार्यालय आदेश ग्राम पंचायत बोहत

प्रदर्श 23 :– नकल रसीद

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। गवाह पीडब्ल्यू 1 ता पीडब्ल्यू 2 के बयानो को पढा गया। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को ही अपनी बहस में कथन किया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। फाईनल बहस वकील वादी दिनांक 10.01.2019 को सुनी गई। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। अतः सुनी गयी बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व शपथ पत्र ग्राम पंचायत बोहत के आधार पर न्यायालय वादीगण का वाद स्वीकार करना उचित नही समझता है लेकिन ग्राम पंचायत बोहत के सरपंच श्री ओम प्रकाश द्वारा दिया गया शपथ पत्र व प्रदर्श 12 महिला नसबंदी प्रमाण पत्र के आधार पर यह भली–भांति साबित है कि ग्राम पंचायत बोहत की आराजी खसरा नं0 1650 रकबा 0.48 है0 दक्षिण की दिशा की आराजी परवादी का कब्जा साबित है। वादीगण के अन्य दस्तावेज प्रदर्श पी–8, पी–9, पी–10 भी साबित करते है। अतः आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण खारिज किया जाता है लेकिन प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 1650 रकबा 0.48 है0 दक्षिणी दिशा वाके ग्राम बोहत तह0 मांगरोल में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें। वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग से नही रोकें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन